पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि — 03 पौष, 1936 (श0) / 24 दिसम्बर, 2014 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1) ग्रामीण विकास विभाग	..	..	01
(2) ग्रामीण कार्य विभाग	..	..	01
(3) पथ निर्माण विभाग	..	..	02
(4) लघु जल संसाधन विभाग	..	..	01
(5) जल संसाधन विभाग	..	..	01
		कुल योग —	06

दोषी पर कार्रवाई

2. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी--दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को राष्ट्रीय समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "Vaishali solar light scam over Rs. 5 crore" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009 से 2012 तक वैशाली जिला के 290 पंचायतों में से 236 पंचायतों में सोलर लाईट का क्रय संबंधित पंचायत के मुखियों द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर करने के कारण 5 करोड़ रुपया का घपला हुआ है जिसमें पातेपुर प्रखंड के 28 पंचायतों में 65.93 लाख रु0, विदुपुर प्रखंड के 24 पंचायतों में 78.20 लाख रु0, हाजीपुर प्रखंड के 18 पंचायतों में 49.25 लाख रु0, जनदाहा प्रखंड के 17 पंचायतों में 40.20 लाख रु0, भगवानपुर प्रखंड के 17 पंचायतों में 94.23 लाख रु0 तथा महनार प्रखंड में 34.46 लाख रु0 का गबन शामिल है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राशि का गबन करने वाले दोषी व्यक्तियों से राशि की वसूली करने एवं उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की सरकार द्वारा अबतक कौन-सी कार्रवाई की गयी है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

3. श्री मनीष कुमार--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के ईमामगंज कार्य प्रमंडल में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निम्न पथ रानीगंज बहेरा से जोलह बिगहा तक (पैकेज बी0 आर0-12 आर0-222), झौवा नदी (रौशनगंज) से ताराडीह तक (पैकेज बी0 आर0-12 आर0-177), पननीया से मनिका तक (पैकेज बी0 आर0-12 आर0-172), तरवनमोर से कुण्डिल तक (पैकेज बी0 आर0-12 आर0-170) का निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप नहीं हुआ है, सड़क के दोनों ओर फ्लैंक का निर्माण नहीं हुआ है तथा मानक स्तर के सामग्रियों का प्रयोग भी नहीं किया गया है फलतः उक्त पथों की स्थिति काफी खराब हो गई है, यदि हाँ, तो इसकी जाँच कराते हुये संबंधित तकनीकी अभियंता एवं संवेदक के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

फ्लाई ओवर का निर्माण

4. श्री अरूण मांझी--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी विधान-सभा क्षेत्र के तारेगना रेलवे गुमटी मार्ग के पास प्रतिदिन सड़क जाम रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तारेगना रेलवे गुमटी मार्ग से मसौढ़ी पालीगंज पथ, मसौढ़ी नौबतपुर पथ, मसौढ़ी पुनपुन पथ, मसौढ़ी जहानाबाद पथ, मसौढ़ी एस0पी0एम0 पथ जुड़ी हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तारेगना रेलवे गुमटी के पास फ्लाई ओवर का निर्माण कराना चाहती है यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सेतु की मरम्मती

5. डॉ0 अच्युतानंद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 नवम्बर, 2014 के अंक में छपी खबर "सियासत की भेंट चढ़ रहा महात्मा गाँधी सेतु" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 26 जून, 2012 को तत्कालीन केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री एवं बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री के बीच हुई समझौते में यह तय किया गया था कि बिहार सरकार महात्मा गाँधी सेतु को छह साल तक मरम्मत कर चालू रखेगी ;

(2) क्या यह बात सही है कि 11 जून, 2012 को एन0 एच0 ए0 आई0 के द्वारा महात्मा गाँधी सेतु की मरम्मती के लिये निकाले गये निविदा को 17 जुलाई, 2014 को रद्द कर दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 28 जून, 2012 के केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के कार्यालय आदेश के अनुसार महात्मा गाँधी सेतु की मरम्मती का जिम्मा राज्य सरकार का है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो महात्मा गाँधी सेतु की मरम्मती के लिये सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है और कबतक ?

योजना का क्रियान्वयन कराना

6. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "आठ महीने बाद भी शुरू नहीं हुई नलकूप योजना" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार शताब्दी नलकूप योजना की शुरूआत 11 फरवरी, 2014 को की गयी जिसके तहत् पाँच वर्ष में 12 लाख किसानों को नलकूप की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है तथा 80 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई का लक्ष्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत 38 प्रखंडों का चयन कर 65 करोड़ की अनुदान राशि भी जारी कर दिया गया है परन्तु किसानों का इसका लाभ नहीं मिल सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अभीतक योजना के क्रियान्वयन नहीं होने का क्या औचित्य है ?

दोषी पर कार्रवाई

7. श्री विक्रम कुँवर--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी दिल्ली की जे0 के0 एम0 इन्फ्रा प्रो0 प्राइवेट लि0 को कुनौली तथा कटिहार में बाढ़ नियंत्रण, तटबंध निर्माण एवं मरम्मती कार्य हेतु 126, करोड़ का काम अप्रैल, 2010 में विभाग द्वारा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पत्रांक 765, दिनांक 4 अप्रैल, 2009 द्वारा कटिहार पथ प्रमंडल ने कम्पनी को डिफोल्टर घोषित करते हुये 31 दिसम्बर, 2010 तक किसी निविदा में भाग लेने पर रोक लगा दिया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ब्लैक लिस्टेड कम्पनी को कार्य आवंटित करने वाले दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 (ई0) ।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 123-डी0टी0पी0-450